सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 20, मंगलवार, शाके 1946- मार्च 11, 2025 *Phalguna 20, Tuesday, Saka 1946- March 11, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 06, 2025

संख्या प.31(1) गृह-9/2022 :-यतः मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.31(1) गृह-9/2022 दिनांक 29.11.2022, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 26.06.2023 को किया गया था, में वर्णित क्षेत्र, ग्राम-ठेकडा, तहसील-अलवर, पंचायत समिति उमरैण, जिला-अलवर, की आराजी खसरा नम्बर 864 व 870 में कुल 25.30 हैक्टेयर किता में से खसरा नं. 864 के उत्तर पूर्वी कोने की 02 हैक्टेयर भूमि को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें दिनांक 30 नवम्बर 2052 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर को स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

यतः उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज हेतु, अधिसूचना क्रमांक प.31(1)गृह-9/2022 दिनांक 14.08.2023, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) में दिनांक 18.08.2023 में किया गया था, में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में चांदमारी तथा तोपखाने का अभ्यास अधिकृत करने हेतु विज्ञप्ति जारी करने का आशय विज्ञापित किया गया था।

अतः अब मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में दिनांक 30 नवम्बर 2052 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु अधिकृत करती है तथा उक्त क्षेत्र को भविष्य में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाएगा।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम-ठेकडा, तहसील-अलवर, पंचायत समिति उमरैण, जिला-अलवर, की आराजी खसरा नम्बर 864 व 870 में कुल 25.30 हैक्टेयर किता में से खसरा नं. 864 के उत्तर पूर्वी कोने की 02 हैक्टेयर भूमि।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।